न्यायालय अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद सं0–67/2021

प्रंसग :– मुन्नी देवी एवं 01 अन्य बनाम शंकर दास एवं 01 अन्य

आदेश

11-11-25

उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक–389/विधि, दिनांक–29.03.2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित प्रस्तुत वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक–मुन्नी देवी, पति–बालेश्वर रविदास एवं खुबलाल दास, पिता–विशुन दास दोनों साकिन–गुमो, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(i)(b) के तहत मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–175, प्लॉट सं0–3049, रकवा–02 डी0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति का मांग किया गया है।

तत् आलोक में अंचल अधिकारी, कोडरमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुना गया।

आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता द्वारा अपना–अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता (आवेदक) मुन्नी देवी, पति–बालेश्वर रविदास एवं खुबलाल दास, पिता–विशुन दास दोनों साकिन–गुमो, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा के निवासी है एवं क्रेता शंकर दास, पिता–स्व0 जगदीश दास एवं विशुनधारी दास, पिता–स्व0 जगदीश दास दोनों साकिन–गुमो, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा के निवासी है। साथ ही विक्रेता जाति के चमार है तथा क्रेता भी जाति के चमार हैं, दोनो एक ही वर्ग अनुसुचित जाति के अन्तर्गत आते है। आवेदक (विक्रेता) द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि बिक्री की जा रही है। विक्रेता एवं क्रेता भूमि खरीद–बिक्री हेतु सहमत है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा का पत्रांक–2355, दिनांक–07.11.2025 द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–175, प्लॉट सं0–3049, रकवा–02 डी0 रैयती भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहिन के श्रेणी में नहीं आते है। विक्रेता इलाज हेतु भूमि की बिक्री करना चाहते है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही वर्ग (अनुसुचित जाति) के अन्तर्गत आते है तथा दोनो एक ही जिला (कोडरमा) के निवासी है। अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा भूमि बिक्री हेतु अनुमति दी जा सकती है, का मन्तव्य दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन एवं मन्तव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत प्रश्नगत मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–175, प्लॉट सं0–3049, रकवा–02 डी0 भूमि शंकर दास ,पिता –स्व0 जगदीश दास एवं विशुनधारी दास, पिता–स्व0 जगदीश दास दोनों साकिन–गुमो, पोस्ट –झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 से अच्छादित रहेगा। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/11/25
अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

11/11/25
अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2025.11.15 16:28:24 +05:30
Location: 192.168.29.40